

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 22.12.2024

1.थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा बन्द पडे घरो मे घुसकर पैसो व गहनो की चोरी करने वाले 02 वांछित अन्तर्राज्यीय चोर गिरफ्तार, कब्जे से 772000 रूपये नकद, चोरी किया गया सामान/आभूषण सफेद धातु व पीली धातु एवं एक अवैध चाकू व एक स्कूटी बरामदा

घटना का विवरण-- अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16.12.24 को जागृति अपार्टमेन्ट सै० 71 घर से नगदी व जेवरात व कीमती सामान आदि की चोरी करना व दिनांक 18.12.24 को गली नं० 7 ममूरा सैक्टर 66 में घर में घुसकर नगदी व जेवरात आदि चोरी करने की घटना को अंजाम दिया था जिनके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 433/24 धारा 305(ए) बीएनएस व मु०अ०सं० 437/24 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 22.12.24 को थाना फेस 3 पुलिस व बीट पुलिसिंग द्वारा गोपनीय/इलैक्ट्रानिक सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये गढी गोल चक्कर के पास सर्विस रोड से अभियुक्तगण (1)-जितेन्द्र उर्फ गोलू पुत्र राजेन्द्र (2)- राजेश उर्फ गंजा पुत्र किशनलाल को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना हाजा पर मु.अ.स. 452/2024 धारा 305(ए)/317(2)/बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण एनसीआर क्षेत्र में अपने वाहनों के नम्बर प्लेट उतारकर रैकी करके बन्द पड़े घरों में "मास्टर की" मदद से ताला खोलकर/तोड़कर घरों में से कीमती सामान व पैसा व ज्वैलरी आदि चोरी करते हैं व चोरी करने के बाद कुछ दूर जाकर अपने वाहन पर नम्बर प्लेट लगाकर भाग जाते हैं। इन दोनों अभियुक्तगण द्वारा अपने साथियों के साथ गोपनीय रूप से बंद पड़े मकान में चोरी करके जेवरात को तुरन्त केमिकल से साफ कर देते हैं एवं बेच देते हैं तथा कुछ जेवरात को साफ करके अपने पास प्रयोग हेतु रख लेते हैं। केमिकल से जेवरात को इसलिए चोरों द्वारा स्वंय साफ किया जाता है कि उसकी पहचान वादी द्वारा कम हो सके। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अन्तर्राज्यीय चोर है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

- 1. जितेन्द्र उर्फ गोलू पुत्र राजेन्द्र निवासी गांव रायसर थाना रायसर जिला जयपुर राजस्थान हाल पता- ए-407 नांगलोई ज्वालापुरी थाना नांगलोई दिल्ली उम्र- 38 वर्ष
- 2. राजेश उर्फ गंजा पुत्र किशनलाल निवासी-खटीकपाडा घटिया मार्केट थाना हरिपर्वत जिला-आगरा हाल पता-राजीव रतन आवास बापोला थाना नरेला दिल्ली उम्र-42 वर्ष

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास--

- 1. मु0अ0सं0 433/24 धारा 305(ए) बीएनएस थाना फेस 3 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 2. मु0अ0स0 437/24 धारा 305(ए) बीएनएस थाना फेस 3 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 3. मु0अ0स0 452/2024 धारा 305(ए)/317(2)/बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 3 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

- 1. नगदी 772000 रूपये (सात लाख बहात्तर हजार रूपये)
- 2. एक गले का हार पीली धातु
- 3. एक चैन पीली धातु
- 4. एक जोडी झुमके पीली धातु
- 5. एक जोडी पैर के कडे सफेद धातु
- 6. एक जोडी पाजेब बडी सफेद धातु
- 7. एक जोडी पाजेब छोटी सफेद धातु
- 8. एक अदद नाजायज चाकू
- 9. घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी रजि0न0 डीएल 4एस डीयू 6279

2.थाना बादलपुर पुलिस द्वारा युवती की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तारा कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 22.12.2024 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये युवती की हत्या करने वाले अभियुक्त विरेन्द्र पुत्र बलजीत को कल्दा पुलिया से ग्राम दुजाना की तरफ से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण-- थाना बादलपुर क्षेत्र के अंतर्गत राखी पुत्री राजेश कुमार निवासी सत्यम रेजिडेंसी कॉलोनी, छपरौला, थाना बादलपुर उम्र 22 वर्ष और वीरेंद्र पुत्र बलजीत निवासी तोमडी, थाना औरंगाबाद, जिला बुलंदशहर जो काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे तथा लड़का तथा लड़की के परिवार वाले लगभग 5-6 वर्षों से एक-दूसरे से परिचित थे। दिनांक 21.12.2024 को वीरेंद्र उपरोक्त लड़की के घर आया था, उस समय लड़की की मां तथा दादी घर मौजूद थी। तभी कुछ समय बाद किसी बात को लेकर राखी तथा वीरेंद्र दोनों में झगड़ा हुआ और वीरेंद्र ने राखी को चाकू मारकर घायल कर दिया जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। जहां पर डॉक्टरों ने राखी को मृत घोषित कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. विरेन्द्र पुत्र बलजीत निवासी तोमडी थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर हाल पत राहुल विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 337/2024 धारा 103(1) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. एक चाकू (घटना मे प्रयुक्त)

3.थाना दादरी पुलिस द्वारा चोरी करने वाले गिरोह के 05 चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 03 अवैध चाकू, 01 हाइड्रोलिक कटर व 12,000 रूपये बरामदा

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 22.12.2024 को थाना दादरी पुलिस द्वारा चोरी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 05 चोर 01. जािकर उर्फ बौना पुत्र रफीक 02. दिलशाद उर्फ भूरा पुत्र चांद मोहम्मद 3. शादाब पुत्र आजाद 4. मोनू उर्फ मोनी पुत्र शीशपाल 05. फुरकान उर्फ काला पुत्र सलीम को अग्रसेन इन्टर कालेज के अन्दर ग्राउण्ड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 03 अवैध चाकू, 01 हाइड्रोलिक कटर व 12,000 रूपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण— पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम पांचो लोगो ने मिलकर अगस्त के महीने में तुलसी विहार कालोनी स्थित टावर से दो आरआरयू उपकरण तथा 01 मोबाइल चोरी व करीब 10-12 दिन पहले गुप्ता कालोनी जी.टी. रोड से एक गाडी से बैटरी चोरी, ग्राम गढी में लगे टावर से बैटरी चोरी, दो दिन पहले जारचा रोड से ट्रांसफार्मर से तांबे की कोल व तेल चोरी किया गया था। टावरो से चोरी किये गये सामान तथा बैटरियों को हमनें दिल्ली चांदनी चौक में राह चलते अनजान व्यक्तियों को तथा ट्रांसफार्मर से चोरी किये गये तांबे को हमनें दादरी में राह चलते अनजान फेरी वाले व्यक्तियों को बेच दिया था। हमसे जो रूपये बरामद हुए है ये चोरी के माल को बेचे हुए माल के है। थाना दादरी पर अगस्त माह मे टावर से आरआरयू तथा मोबाईल चोरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 358/24 धारा 303(2) बीएनएस व ग्राम गढी में लगे टावर से बैटरी चोरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 610/24 धारा 331(4),305 बीएनएस तथा गुप्ता कालोनी में गाडी से शीशा तोडकर बैटरी चोरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 628/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण—

- 1. अभियुक्त जाकिर उर्फ बौना--
 - 1. मु0अ0सं0 633/24 धारा 303(2),331(4),305,324(2),317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
 - 2. मु0अ0सं0 358/24 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
 - 3. मु0अ0सं0 610/24 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
 - 4. मु0अ0सं0 615/24 धारा 324(2)/305/317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
 - 5. मु0अ0सं0 628/24 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
 - 6. मु०अ०सं० ००४९/२१ धारा ४५७/३८०/४११ भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
 - 7. मु0अ0सं0 0053/21 धारा 307/452/411 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
 - 8. मु0अ0सं0 0054/21 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
 - 9. मु0अ0सं0 २६७७/१८ धारा ८/२० एनडीपीएस एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
 - 10.मु0अ०सं० २८७/१५ धारा ३२४/४५२/५०४/५०६ भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
 - 11.मु0अ0सं0 413/15 धारा 414 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
 - 12.मु०अ०सं० ५०४/२३ धारा ३२३/४२७/४५२/५०४/५०६ भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर ।
 - 13.मु0अ0सं0 509/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
 - 14.मु०अ०सं० ६१७/१९ धारा ४५४/३८०/४११ भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

- 15.मु0अ0सं0 679/16 धारा 307/414 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट व 41/102 सीआरपीसी थाना बीटा 02 गौतमबुद्धनगर।
- 16.मु0अ0सं0 397/18 धारा 379/411 भादवि थाना सैक्टर 24 गौतमबुद्धनगर।

2.अभियुक्त दिलशाद उर्फ भूरा--

- 1. मु0अ0सं0 633/24 धारा 303(2),331(4),305,324(2),317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 2. मु0अ0सं0 358/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 3. मु0अ0सं0 610/24 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 4. मु0अ0सं0 615/24 धारा 324(2)/305/317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 5. मु0अ0सं0 628/24 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 6. मु०अ०सं० ९६१/१७ धारा ३२३/३२४ भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 7. मु०अ०सं० ९९३/१७ धारा ३२३/४५२/५०४/५०६ भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 8. मु0अ0सं0 0166/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर।

3.अभियुक्त शादाब पुत्र आजाद--

- 1. मु0अ0सं0 633/24 धारा 303(2),331(4),305,324(2),317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 2. मु0अ0सं0 358/24 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 3. मु0अ0सं0 610/24 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 4. मु0अ0सं0 615/24 धारा 324(2)/305/317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 5. मु0अ0सं0 628/24 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर ।
- 6. मु0अ0सं0 0052/16 धारा 414/482 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 7. मु0अ0सं0 0070/23 धारा 380/411 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 8. मु0अ0सं0 422/24 धारा 271/325 बीएनएस व 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 9. मु0अ0सं0 432/17 धारा 379 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 10.मु0अ0सं0 502/23 धारा 379/411 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 11.मु0अ0सं0 505/23 धारा 414 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 12.मु०अ०सं० ९४०/२० धारा ८/२० एनडीपीएस एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 13.मु०अ०सं० 1115/19 धारा ८/२१ एनडीपीएस एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर ।

4.अभियुक्त मोनू उर्फ मोनी--

- 1. मु0अ0सं0 633/24 धारा 303(2),331(4),305,324(2),317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 2. मु0अ0सं0 358/24 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 3. मु0अ0सं0 610/24 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 4. मु0अ0सं0 615/24 धारा 324(2)/305/317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 5. मु0अ0सं0 628/24 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

5.अभियुक्त फुरकान उर्फ काला--

- 1. मु0अ0सं0 633/24 धारा 303(2),331(4),305,324(2),317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 2. मु0अ0सं0 358/24 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 3. मु0अ0सं0 610/24 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 4. मु0अ0सं0 615/24 धारा 324(2)/305/317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 5. मु0अ0सं0 628/24 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 6. मु0अ0सं0 352/20 धारा 188/269/270 भादवि व 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 7. मु0अ0सं0 628/24 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 8. मु०अ०सं० ९६१/१७ धारा ३२३/३२४ भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण--

- 1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर,
- 2. 03 अवैध चाकू,
- 3. 01 हाइड्रोलिक कटर
- 4. 12,000 रूपये